ग्राम पंचायत पथल्यार, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.15 से 31.03.18

भाग- एक

1. प्रस्तावना:-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पथल्यार, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत पथल्यार, विकास खण्ड बिझड़ी में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:

प्रधान:

क्र° सं	नाम	अवधि
1	श्रीमति सीमा देवी	01-04-15 से 22-01-2016
2	श्रीमति कमला देवी	23-01-2016 से 31-3-2018

सचिव:

क्र° सं	नाम	अवधि
1	श्री राकेश कुमार	01.04.2015 से 31-03-2018

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:

ग्राम पंचायत पथल्यार, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के लेखाओं अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	अनुदान का उपयोग न करना।	19.34
2	8	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि।	0.10

3	9	निर्धारित सीमा से अधिक राशि का हस्तगत रखना	
4	10	संकर्मों के संबंध में माप पुस्तिकाएँ प्रस्तुत न करना	3.79

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण: -

ग्राम पंचायत पथल्यार, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री श्रीराम सुनील, अनुभाग अधिकारी तथा श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 11-09-2018 से 14-09-2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

अवधि	**आय**	**व्यय**
2015-16	03/2016	11/2015
2016-17	03/2017	03/2017
2017-18	03/2018	07/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत पथल्यार, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009"को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:FIN/LAD/HMR/2018-74 दिनांक 14/09/2018 के तहत अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित के माँग ड्राफ्ट संख्या: 211601 दिनांक 18-09-2018 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया I

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत पथल्यार, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी: -

(i) स्वस्त्रौत:

ग्राम पंचायत पथल्यार, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण: -

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2015-16	203018	49373	252391	11557	240834
2016-17	240834	35008	275842	35969	239873
2017-18	239873	38344	278217	30335	247882

(ii) अनुदान:

ग्राम पंचायत पथल्यार, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण **परिशिष्ट-1** के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	अथ शेष ₹	प्राप्ति ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2015-16	409399.00	1524086.00	1933485	1230641.00	702844
2016-17	702844	2332236.00	3035080	1875125.00	1159955
2017-18	1159955	2973956.00	4133911	2200235	1933676.04

(iii) दिनांक 31.03.2018 को ग्राम पंचायत पथल्यार, विकास खण्ड बिझड़ी के बैंक खातों में अन्तिम शेषों का विवरण:

क्रम संख्या	बैंक	शीर्ष	बैंक खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB BARSAR	GCB- A	20011007119	247225
2	KCCB BARSAR	GCB-B	20011007095	370164.00
3	PNB BARSAR	14th	2528000100174870	1563343.04
	TOTAL BALANCE			**2180732.04**
	CASH IN HAND			826.00
	G.TOTAL			**2181558.04**

5 बैंक समाधान विवरणी:

स्व स्त्रोत: दिनांक **31-03-2018** को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता 'क' का अंतिम शेष	247882
अनुदान: दिनांक **31-03-2018** को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता 'ख' का अंतिम शेष	1933676.04
दिनांक **31-03-2018** को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता **'क' व 'ख' का कुल अंतिम शेष**	**2181558.04**
दिनांक **31-03-2018** को पंचायत के बैंक खातों / पैरा 4(3) के अनुसार खाता 'क' व 'ख' का कुल अंतिम शेष	**2180732.04**
दिनांक 31-03-2018 को हस्तगत नगद शेष	826.00
दिनांक 31-03-2018 को हस्तगत शेष सहित कुल बैंक शेष	**2181558.04**
अंतर की राशि	**00**

5.1 नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते तैयार न करना :-

पंचायत के लेखों की जांच में पाया गया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाव हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) सहपठित नियम 4 के अनुसार खाता -क एवं खाता -ख के रूप में नहीं रखा गया है। बल्कि खाता -क एवं खाता -ख के लिए एक ही रोकड़ बही का संधारण किया गया है, जिसके कारण किसी भी स्तर पर गल्ती होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख-रखाव न रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे खाते तैयार कर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त स्व: स्त्रोत आय को खाता-क व अनुदानों को खाता–ख में जमा करना सुनिश्चित करें।

6 निवेश:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है जिससे इन पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में अधिक मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹19.34 लाख का उपयोग न करना:

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक अनुदान ₹19,33,676.04 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यो हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी

योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :75 दिनांक 14-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्तिथि स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक GPP 11 दिनांक 15-09-2018 के तहत उत्तर दिया गया कि दिनांक 31-03-18 को पंचायत की वित्तीय स्थिति के अनुसार ₹19,33,676 शेष थी, विकास कार्यों को शुरू कर दिया गया है। राशि शीघ्र ही व्यय कर दी जाएगी। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा इस राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

8 पंचायत राजस्व ₹0.10 लाख वसूली हेतु शेष:-

अंकेक्षण में पंचायत की स्व: स्त्रौतों से प्राप्त आय से संबन्धित उपलब्ध अभिलेख/अंकेक्षण के दौरान प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर निम्न विवरणानुसार दिनांक 31/03/18 को गृहकर व मोबाइल टावर शुल्क के रूप में वसूली हेतु ₹10,190 (₹190 + ₹10,000) की राशि शेष थी जोकि आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :75 दिनांक 14-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक GPP 11 दिनांक 15-09-2018 के अन्तर्गत उत्तर दिया गया कि दिनांक 31-03-18 को पंचायत के राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि को शीघ्र ही वसूल कर लिया जाएगा। अतः राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए तथा अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(1) गृह कर

वर्ष	**अथशेष (₹)**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतु शेष राशि (₹)**
2015-16	0	33465	33465	32600	865
2016-17	865	11660	12525	12500	25
2017-18	25	12000	12025	11835	190

(2) मोबाइल टावर शुल्क:

वर्ष	**अथशेष (₹)**	**मांग (₹)**	**योग(₹)**	**प्राप्ति(₹)**	**वसूली हेतु शेष राशि (₹)**
2015-16		4000.00	4000.00	2000.00	2000.00
2016-17	2000.00	5000.00	7000.00	2000.00	5000.00
2017-18	5000.00	5000.00	10000.00	0.00	10000.00

No. of Towers 02

नोट: - मोबाइल टावरों की इन्स्टालेशन तथा दिनांक 01-04-15 को बकाया राशि के संबंधी में कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही इस संदर्भ में कोई सूचना उपलब्ध करवाई गई कि ये टावर किस-2 कंपनी के हैं, किस-2 की भूमि पर किस-2 तिथि से स्थापित हैं

आदि तथ्यों का प्रमाण उचित स्त्रोत से/(भूमि मालिकों से) एकत्रित करते हुए तदानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

9 निर्धारित सीमा से अधिक राशि का हस्तगत रखना:

पंचायत की सामान्य रोकड़ वही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्धारित सीमा ₹1000 से अधिक की राशि को हस्तगत रखा गया था, यद्यपि ऐसा मात्र एक मार्च माह में पाया गया जोकि {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :75 दिनांक 14-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक GPP 11 दिनांक 15-09-2018 द्वारा उत्तर दिया गया कि "**भविष्य में वित्त नियमों में निर्धारित सीमा के अनुसार ही राशि को हस्तगत रखा जाएगा।**" अत: भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए l

10 ₹3.79 लाख के निर्माण कार्यों के संबंध में माप पुस्तिकाएँ प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के नियम 101 के अनुसार विभन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन का ब्यौरा माप पुस्तिका मे निर्धारित रीति के अनुसार रखा जाना अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाऐं प्रस्तुत नहीं की गईं जिसके कारण **परिशिष्ट "2" एवं टिप्पणी-1 में दिये गए विवरणानुसार** दर्शाये गये भुगतान ₹3,79,406 की विभिन्न राशियों की मद वार वास्तविक निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि से जांच सम्भव नहीं हो पाई और न ही विभिन्न निर्माण कार्यों में उपयोग किये गये सामान का विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया परिणामस्वरूप निर्माण कार्यों वार क्रय/जारी सामान की मात्रा की वास्तव में उपयोग अथवा शेष मात्रा से तुल्नात्मक जांच सुनिश्चित नहीं की जा सकी । अत: उपरोक्त के सम्बंध मे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये ।

11 ₹0.006 लाख के बिल/ वाउचरों में आवश्यक विवरणों एवं विशिष्टताओं के अभाव में चार्ज दरों की उपयुक्तता का आकलन न हो पाना:-

अंकेक्षण में **परिशिष्ट "2" व** टिप्पणी-2 में दिये गए विवरणानुसार बिल/वाउचरों में क्रय/किराय पर ली गई सामग्री एवं सामान की ढुलाई इत्यादि हेतु चार्ज दरों की उपयुक्तता का आकलन दूरी, मात्रा, आकार, प्रकार, परिमाप,मेक/मॉडल इत्यादि विशिष्टताओं के अभाव में नहीं हो पाया। जोकि नियमानुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपतिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :75 दिनांक 14-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्तिथि स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक GPP 11 दिनांक 15-09-2018 के अन्तर्गत उत्तर दिया गया कि "भविष्य में प्राप्त बिल/वाउचरों में अंकेक्षण द्वारा संदर्भित विशिष्टताओं को ध्यान में रखा जाएगा ताकि न्यायसंगतता की पुष्टि हो सके।" अत: उक्त बिल/वाउचरों के तहत क्रय सभी सामग्रियों हेतु चार्ज दरों को आवश्यक विवरणों सहित पूर्णत: न्यायसंगत ठहराया जाए अन्यथा ₹680 की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित किया जाए

एवं भविष्य में भी क्रय करते समय बिल/वाउचरों में चार्ज दरों को पूर्ण न्यायसंगत ठहराने हेतु आवश्यक विशिष्टताओं का समर्थित अभिलेख में उल्लेख करना/करवाना सुनिश्चित किया जाए।

12 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। मगर अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :75 दिनांक 14-09-18 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक GPP 11 दिनांक 15-09-2018 के अन्तर्गत उत्तर दिया गया कि **संदर्भित नियम के अनुसार बजट प्राक्कलन भविष्य में तैयार किया जाएगा।** अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

13 हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार रोकड़ वही बनाए रखने संबंधी नियम 7(1) के प्रावधानों का अनुपालन न करने बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार रोकड़ वही बनाए रखने संबंधी नियम 7(1) के प्रावधानानुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या और तारीख होगी जिसके तहत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्राधिकृत किया गया था। किन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 के इस प्रावधान की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है, अंकेक्षण अधियाचना संख्या :75 दिनांक 14-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्तिथि स्पष्ट करने/अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था अंकेक्षण अधियाचना संख्या :75 दिनांक 14-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक GPP 11 दिनांक 15-09-2018 के तहत उत्तर दिया गया कि "हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7(1)(2) की अनुपालना में प्रत्येक बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या और तारीख अंकित की जाएगी व इस नियम की भविष्य में अनुपालना की जाएगी।" अत: तुरंत प्रभाव से हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

14 हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार भुगतान आदेश संबंधी नियम 49(1)(2) के प्रावधानों का अनुपालन न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नही किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन

नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। अधिकांश बिलों/ वाउचरों की अदायगियाँ बिना भुगतान आदेशों के ही की गईं थीं। जोकि उक्त नियम प्रावधानों की सरासर उलंघना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या :75 दिनांक 14-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक GPP 11 दिनांक 15-09-2018 के तहत उत्तर दिया गया कि "संदर्भित नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश भविष्य में पारित किए जाएंगे। अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान नियमानुसार अदायगी आदेश रिकार्ड किए बिना किए गए सभी बिलों/भुगतानों हेतु नियमानुसार संयुक्त रूप में भुगतान आदेश(अंकों तथा शब्दों दोनों में) रिकार्ड किये जाएँ एवं अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए अथवा इन सभी संदायों/भुगतानों की सूची बनाकर इस अनियमितता को सक्षम/उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार अदायगी आदेश रिकार्ड करने उपरांत ही कोई भी संदाय/भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

15 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता | इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है| अंकेक्षण अधियाचना संख्या :75 दिनांक 14-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक GPP 11 दिनांक 15-09-2018 के अन्तर्गत उत्तर दिया गया कि "सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए आदेश की प्रति जांच हेतु भविष्य में उपलब्ध करवा दी जाएगी।" अत: सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

16 बिल रजिस्टर को तैयार न करना:-

पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 48 के अनुसार संदायों के लिए सभी दावे प्रारूप 13 में बनाये जाने वाले रजिस्टर में प्रथमत: प्रविष्ट नहीं किये जा रहे हैं, जिससे बिल विशेष की प्राप्ति उपरांत पंचायत द्वारा उस पर कब क्या कार्यवाही की गई, का पता नहीं चलता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :75 दिनांक 14-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्तिथि स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक GPP 11 दिनांक 15-09-2018 के अन्तर्गत उत्तर दिया गया कि "हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम,

2002 के नियम 48 के अनुसार संदाय के लिए सभी दावे प्रारूप-13 में बनाए जाने बाले बिल रजिस्टर में भविष्य में दर्ज किए जाएंगे।“ अत: तुरंत प्रभाव से किसी भी प्राप्त बिल पर आगामी कार्यवाही अमल में लाने से पूर्व उसकी प्रविष्टि प्रथमत: प्ररूप 13 में बिल रजिस्टर में की जानी सुनिश्चित की जाये।

17 उपस्तिथि नामावली (मस्टररोल) संबंधी नियम प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित न करने बारे:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के मस्ट्रोल संबंधी नियम 102 के प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :75 दिनांक 14-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक GPP 11 दिनांक 15-09-2018 के तहत उत्तर दिया गया कि “हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के मस्ट्रोल संबंधी नियम 102 के प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना भविष्य में की जाएगी।“ अत: उक्त आश्वासनानुसार मस्टररोल संबंधी नियम प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना तुरंत प्रभाव से सुनिश्चित की जाए।

18 माप पुस्तिकाओं का रख-रखाव व सत्यापन नियमानुसार न करना :-

निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु हि०प्र० पंचायती राज { वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम प्रावधानों के अनुसार समय-2 पर निर्धारित मानकों अनुसार परीक्षण जांच संचालित करने एवं सकर्मों के निरीक्षण और परीक्षण जांच की अवस्था का प्रावधान है, ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों हेतु प्रयुक्त मापन पुस्तिकाओं का रख-रखाव एवं सत्यापन नियमानुसार नहीं किया जा रहा है यद्यपि ये तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गईं परन्तु मापन पुस्तिका में हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के नियम 101,103(2),104(2)(i) व 105 की अनुपालना में किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया, न ही test check संचालित किये गये और न ही निर्माण कार्यों के निरीक्षण की अवस्था के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध करवाया गया। जोकि नियमानुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपतिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :75 दिनांक 14-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक GPP 11 दिनांक 15-09-2018 के तहत उत्तर दिया गया कि “माप पुस्तिकाओं का रख-रखाव व सत्यापन हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के अध्याय 11 के प्रावधानों के अनुसार भविष्य में किया जाएगा।“ अत: उक्त नियमों की अनुपालना के अभाव में मुल्यांकन तथा भुगतानों का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त नियमों की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

19 ₹0.10 लाख या इससे अधिक के सभी भुगतान इ-बैंकिंग के माध्यम से करने बारे: -

₹10000 या इससे अधिक के सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से आरटीजीएस/एनईएफ़टी के माध्यम से किए जाने अपेक्षित हैं। अत: इस संदर्भ में प्रधान सचिव (वित्त), वित्त (रेग्युलेशनज़) विभाग, हि० प्र० सरकार द्वारा पत्र संख्या फिन(सी)ए(3)-5/2004 दिनांक 23 अगस्त, 2011 के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित न करने के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त नियम की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

20 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :75 दिनांक 14-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक GPP 11 दिनांक 15-09-2018 के तहत उत्तर दिया गया कि "अंकेक्षण अधियाचना में संदर्भित नियम प्रावधानों के अनुसार अभिलेख व रजिस्टर भविष्य में रखे जाएंगे।" अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्ररूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बहियों का स्टाक रजिस्टर 4 13 (5)		
2	विकास सकर्मों के निष्पादन का रजिस्टर 7 34		
	हि० प्र० पंचायती राज(सामान्य) नियम, 1997		
3	अनुदान रजिस्टर हि० प्र० पंचायती राज		
(	सामान्य) नियम, 1997 8 34		
4	बिजली, पानी, टेलीफोन व डाक व्यय बिल रजिस्टर		
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर 10 33		, 77 (4)
6	बजट प्राक्कलन 11	, 12	37, 38
7	अनुपभोज्य मदों का स्टाक रजिस्टर	25 72 (1)	
8	लेखन सामग्री से भिन्न उपभोज्य मदों		
	का स्टाक रजिस्टर 26 72 (1)		ख
9	मुद्रित सामग्री का स्टाक रजिस्टर 27 72 (1) (		ग)
10	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी		
	आकलन का रजिस्टर 31 95 (1)		
11	लिवरी आर्टिकल्स का जांच पड़ताल रजिस्टर।		
12	गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।		
13.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर 13 48		
14.	मस्ट्रोल निर्गम/स्टॉक रजिस्टर 102		
15	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर 101(2)(		v)
16	मोबाइल टावर की फीस के रख-रखाब का रजिस्टर।		
17	वर्गीकृत सार	8	29 (4)

21 प्रत्यक्ष-सत्यापन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना

अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में बिद्द्यमानता/ उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जोकि नियमानुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपतिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :75 दिनांक 14-09-18 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक GPP 11 दिनांक 15-09-2018 के अर्न्तगत उत्तर दिया गया कि "स्टोर/स्टॉक संबंधी अभिलेख व स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन भविष्य में किया जाएगा।" अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए

22 **लघु आपति विवरणिका:-** संस्था को लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

23 **निष्कर्ष:-** संस्था के लेखाओं के रख-रखाव में और सुधार एवं कड़ी निगरानी/ अनुश्रवण(मोनिट्रिंग) की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)69/2018 खण्ड—1—8417—8420 दिनांक 22.12.18 शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत पथल्यार, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर हि0प्र0 पिन—174305 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतरएक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर हि0प्र0।

हस्ता/—
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620046